राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3) विभाग

17 JUL 2010

क्रमांकः प.2 (157)कार्मिक/क–3/97 जयपुर, दिनांकः 17 JUL 2010

17 JUL 2010

समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव,
समस्त शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव,
समस्त सम्भागीय आयुक्त एवं
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर्स सहित)

परिपत्र

विषयः– लोक सेवकों के अपराधिक प्रकरणों में निलम्बन एवं निलम्बन से बहाली के संबंध में निर्देश।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10.8.2001 के क्रम में लोक सेवकों के निलम्बन एवं निलम्बन से बहाली के सम्बन्ध में प्रकरणों को सम्बन्धित समिति के समक्ष पुनर्विलोकन किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैः–

1. यह कि यदि कोई लोक सेवक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जावे तो सम्बन्धित लोक सेवक को बिना किसी अपवाद के तुरन्त निलम्बित किया जावे।

2. उपरोक्त बिन्दु 1 में वर्णित मामलों (Trap cases) के अलावा भ्रष्टाचार से संबंधित समस्त प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के साथ–साथ सम्बन्धित लोक सेवक को निलम्बित किया जाना अनिवार्य होगा, यदि संबंधित लोक सेवक को पूर्व में ही निलम्बित न कर दिया गया हो।

3. हत्या, दहेज मृत्यु (dowry death), बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों (grievious offences) एवं नैतिक अक्षमता (moral turpitude) से संबंधित प्रकरणों में यदि पुलिस द्वारा सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया जाता है तो संबंधित लोक सेवक को तुरन्त निलम्बित करना अनिवार्य होगा, यदि संबंधित लोक सेवक को पूर्व में ही निलम्बित न कर दिया गया हो।

उपरोक्त तीनों प्रकार के प्रकरणों में लोक सेवक के सम्बन्ध में निलम्बन की तिथि से तीन वर्ष का समय व्यतीत हो चुका हो एवं न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो ऐसे लोक सेवकों के प्रकरण बहाली के सम्बन्ध में गठित समिति के समक्ष रखे जायेंगे और समिति प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर बहाली हेतु अभिशंषा करेगी।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रथम न्यायालय द्वारा किसी लोक सेवक को दोष मुक्त कर दिया जाता है तो ऐसे लोक सेवक को साधारणतः निलम्बन से बहाल कर दिया जाना चाहिए, चाहे राज्य सरकार ने ऐसे प्रकरणों में न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील दायर भी कर दी हो।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री/सचिव, मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव